न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 85/2006/223 आरटीए

1. त्रिलोचन सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. बलदेवसिंह पुत्र बलवंतसिंह उर्फ बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जगदेव सिंह उर्फ भादरसिंह पुत्र बलवंतसिंह उर्फ बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. मेघसिंह पुत्र बलवंतसिंह उर्फ बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. मु. करतारकौर पुत्री बलवंतसिंह उर्फ बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. मु0 भरपूरकौर पुत्री बलवंतसिंह उर्फ बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. मु0 तारकौर पुत्री बलवंतसिंह उर्फ बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. करनैलसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. हुक्मसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. जसवीर सिं पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. गुरदीप सिंह पुत्र त्रिलोचनसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. जरनैलसिंह पुत्र फुमणसिंह पुत्र साहबसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. करनैलसिंह पुत्र फुमणसिंह पुत्र साहबसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13. प्रतापसिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

14. गुरचनसिंह उर्फ गुरबचनसिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

15. रूड़सिंह पुत्र गजनसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

16. बुधसिंह पुत्र सजनसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

17. मिठूसिंह पुत्र सजनसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

18. जगेन्द्रसिंह पुत्र सजनसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

19. गुरप्रतापसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

20. मेजरसिंह पुत्र गुरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

21. गमदूरसिंह पुत्र गुरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

22/1 नूरखातून पत्नि मोहम्मद बक्श जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

22/2 मंजूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद बक्श जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

22/3 मुमताज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद बक्श जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

22/4 अमरीकां बीबी जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

22/5 सबीना बीबी जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

22/6 मुमताज बीबी जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

23/1 कांमो बीबी पत्नि यासीन जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

23/2 रसीद मोहम्मद पुत्र यासीन जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

23/3 सांदो बीबी पुत्री यासीन जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

24. फारूख मोहम्मद पुत्र सुरजा जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

25. नौजव पुत्र सुरजा जाति लबाना गूजर मुसलमान निवासी मलड़खेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

26. देवराज पुत्र मुन्शीसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

27. तेजकौर जोजा मड़सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

28. बलबागसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

29. सुखजीत सिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

30. तारासिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

31. दर्शनसिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

32. मखनसिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

33. तेजासिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

34. वीरसिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

35. ईशरसिंह पुत्र बूटासिंह जाति जटसिख निवासी पोहड़का तहसील रावतसर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

36. श्रीराम पुत्र पूरन सिंह पुत्र केहरसिंह उर्फ मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

37. बन्ताराम पुत्र पूरन सिंह पुत्र केहरसिंह उर्फ मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

38. हेतराम पुत्र पूरन सिंह पुत्र केहरसिंह उर्फ मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

39. हरनामसिंह पुत्र केहरसिंह उर्फ मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

40/1 प्रसन्नकौर पत्नि भूरसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

40/2 हमीरकौर पुत्री भूरसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

40/3 जसवीरकौर पुत्री भूरसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

40/4 लखपतसिंह उर्फ साधुसिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

40/5 जसवीरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

41/1 किशनसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

41/2 रूपसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

41/3 मु0 बीबी पुत्र अर्जनसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

42. भानसिंह पुत्र केहरसिंह उर्फ मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

43. जोगेन्द्रसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

44. दर्शनसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

45. निकासिंह पुत्र वजीरसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

46. अमरसिंह पुत्र वजीरसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

47. वीरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

48. जगपाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

49. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

50. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.98 न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया प्रकरण संख्या 113/97 अनवानी बलदेवसिंह आदि बनाम करतारकौर आदि

उपस्थित :—

श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 36 ता 38

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 49 व 50

निर्णय दिनांक —09.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सम्मन भिजवाए जो अपीलांट को नही मिले परन्तु इसके बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई व अपीलांट की अनुपस्थिति मे दिनांक 02.01.98 को वादपत्र के अनुसार वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन के अनुतोष को डिक्री करते समय वादीगण के मौके पर बताए गए भौतिक कब्जा संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही लिये गये व न ही इस संबंध मे कोई जांच पड़ताल करवाई इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नपे वाद के अभिकथनो की सत्यता जानने का कोई प्रयास नही किया व बिना किसी साक्ष्य के वादी के अभिकथनो को

Web Copy - Not Official

स्वीकार कर लिया। इस कार्यवाही से अपीलांट को भूमि विभाजन करवाने व अपने अधिकारो की घोषणा करवाने एवं अपनी ओर से आपत्तियों को प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही मिला। वादीगण ने कब्जा संबंधी असत्य कथन कर अपने पक्ष मे डिक्री हासिल की है एवं वादीगण ने इस डिक्री की रूह से गलत इंतकाल अपने नाम से करवाया। अपीलांट को सम्यक रूप से वाद के सम्मन की तामील नही करवाई गई बल्कि ऐसे सम्मन अपीलांट को नही मिले। अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण असालतन तामील अपीलांट पर होना विधि विपरीत माना है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के पूर्णतया विपरीत है। अपीलांट को न्यायालय द्वारा भिजवाई गई कोई सूचना प्राप्त नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार मुकदमा के दरम्यान इस वाद से पूर्व निर्णित वाद संख्या 286/95 करनैलसिंह बनाम हुक्मसिंह आदि का कोई विवेचन नही दिया व न ही वादीगण ने ऐसे वाद की जानकारी दी है। पूर्ण निर्णित वाद के प्रभाव मे रहते हुए वादीगण को वाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता नही थी। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट को पूर्व मे वाद संख्या 113/97 के संस्थित होने व इसके दिनांक 02.01.98 को निर्णित होने का कोई ज्ञान नही हुआ। अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का के माध्यम से दिनांक 08.02.2006 को हुई व जिस पर तुरन्त नकले प्राप्त की गई परन्तु इसके पश्चात अपीलांट जो कि वृद्ध व्यक्ति है, गम्भीर से बीमार हो गया। इस प्रकार अपील ज्ञान से अन्दर एवं स्वस्थ होने की स्थिति मे अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 49 व 50 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि "अपीलांट को भूमि विभाजन करवाने व अपने अधिकारो की घोषणा करवाने एवं अपनी ओर से आपत्तियों को प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही मिला। वादीगण ने कब्जा संबंधी असत्य कथन कर अपने पक्ष मे डिक्री

Web Copy - Not Official

हासिल की है एवं वादीगण ने इस डिक्री की रूह से गलत इंतकाल अपने नाम से करवाया। अपीलांट को सम्यक रूप से वाद के सम्मन की तामील नही करवाई गई बल्कि ऐसे सम्मन अपीलांट को नही मिले।'' जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न सम्मन जो अपीलांट त्रिलोचन सिंह पुत्र मुन्शीसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया के नाम से दिनांक 01.05.1997 को जारी हुआ है तथा उक्त सम्मन की तामील त्रिलोचनसिंह के पुत्र गुरदीपसिंह करवाई जाकर वादपत्र की सूचना दे दी गई थी परन्तु बावजूद इसके अपीलांट/प्रतिवादी त्रिलोचनसिंह उपस्थित नही आने के कारण दिनांक 15.07.97 को प्रतिवादी त्रिलोचनसिंह के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल लाई गई। इस प्रकार अपीलांट अपनी अपील साबित करने मे असफल रहा है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाता है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.98 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official